उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–909–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017–19–प्र0सु0/2004, दिनाँक 27.11.2017

1. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :–लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी (मु0) के पत्र सं0–3022–सू0प्रा0अ0 (15)/पाकालि/17–811–ज0सू0/17, दि0 22.09.2017 एवं इसके संलग्नकों ऊर्जा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2029/चौबीस–पी–3–2017, दि0 30.08.2017, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–7903/पी0एस0ई0/2017 दि0 28.08.2017 एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–580/43–2–2017, दि0 21.08.2017 की प्रतियाँ संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लिखित 17 श्रेणियों में से अपने अधीनस्थ इकाइयों से सम्बन्धित सूचनाओं को संलग्न प्रपत्र के अनुसार विभागीय वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत तत्काल अपलोड कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करा दें तथा इस इकाई (ज0श0 एवं प्र0सु0) को संज्ञानित कराते हुये उक्त आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त कर सीधे प्रशासनिक सुधार विभाग एवं ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 गुप्ता)
उप सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

सं0–909(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017, तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन), उ0प्र0पा0का0लि0 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाएं प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की विधिक बाध्यता के दृष्टिगत इस आशय से प्रेषित है कि विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उनसे सम्बन्धित सूचनाएं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत तत्काल अपलोड कर प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में संबंधित इकाई को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी (मु0),उ0प्र0पा0का0लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

आर.के.गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)
उप सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या–3022–सू0प्रा0अ0(15)/पाकालि/17–811–ज0सू0/17 दिनांक 22/09/2017

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महत्वपूर्ण/समयसीमा

उप सचिव (प्रशिक्षण),
उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 (मु0),
शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या 721 ज0शा0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017
पत्रावली संख्या 19-प्र0 सु0/04
क्रम संख्या 250

विषय :–लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, ऊर्जा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0–2029/चौबीस–पी–3–2017 दिनांक 30.08.2017 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(दीपक श्रीवास्तव)
उप सचिव एवं
जन सूचना अधिकारी (मु0)

अनुभाग अधिकारी (ज0शा)
23/9/17

श्री0 अनिल सिंह/सं0अ0
23-09-17

श्री सतीश
कृ0 प्रस्तुत है।
27/9/17

SS

संख्या: 2029/चौबीस–पी–3–2017

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

3. कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0,
गोमतीनगर, लखनऊ।

4. सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग– 3 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2017**

विषय: लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के पत्र संख्या–580/43–2–2017, दिनांक 21 अगस्त, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनायें प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाधता है। घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जनसामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत तत्काल अपलोड कराये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग एवं ऊर्जा विभाग को दिनांक 03.09.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
अनु सचिव।

संख्या– (1)/चौबीस–पी–3–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ एवं केस्को कानपुर।

(2) जनसूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी, ऊर्जा अनुभाग–1/2/3 एवं निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
अनु सचिव।

mycomputer/d:drive.mm/letter

स0 – 2029/24-पी-3-2017

संख्या–7903/पी0एस0ई0/2017

संयुक्त सचिव, (श्री इन्द्रराज सिंह)

प्रशासनिक सुधार विभाग के संलग्न शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ लें, जो लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

कृपया इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दिनांक 04 सितम्बर, 2017 तक प्रस्तुत की जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Today
US (B) / SO.2 / 83

28–08–2017
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

कृपया समस्त अनुभागों को अनुपालन हेतु भेजें एवं 03 सितम्बर तक अनुपालन आख्या प्राप्त करें।
प्रस्तुत

29/08/2017
(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव एवं अपीलीय अधिकारी
(जन सूचना) ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन

अनु सचिव (श्री गौतम)
अनुभाग-3
कृपया विभाग के नियन्त्राधीन लोक प्राधिकारीगणों को भी अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत करायें।

29/08/2017
(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव एवं अपीलीय अधिकारी
(जन सूचना) ऊर्जा विभाग,

आज ही तत्काल
SO P-3

अनुभाग
(महावीर प्रसाद गौतम)
अनु सचिव
विभाग

श्री पंकज
30/8/17

अति महत्वपूर्ण / तत्काल
संख्या– 580 / 43–2–2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

लखनऊ :दिनांक 2। अगस्त, 2017

विषयः– लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी हैं। उक्त अधिनियम की धारा–4(1)(बी) (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उल्लिखित 17 श्रेणियों की सूचनायें प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता हैं। घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है।

2– इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में कई पत्र प्रेषित किये गये हैं। तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से अर्ध शासकीय पत्र सं0–459 / 43–272014, दि0 25, मार्च, 2014 द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं। वेबसाइटों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विभागों द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचनाओं को अपलोड किये जाने में विशेष रूचि नहीं दिखाई जा रही है। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट अपडेट नहीं है तथा अपलोड की गई सूचनायें भी पूर्ण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण भी ठीक से नहीं दर्शाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन / निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत तत्काल अपलोड करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संलग्नक–यथोक्त।

शा०आदेश सं०-580/43-2-2017 दिनांक 21-8-2017 का संलग्नक

राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ट) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

... का ... ।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

... प्राधिकारियों ... बाध्यताएं।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी--

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर,--

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से

शासनादेश संख्या–580/43-2-2017, दि० 21-8-17 का संलग्नक

विभाग का नाम–[illegible]

क्रम संख्या	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन लोक. प्राधिकरण का नाम	अधिनियम की धारा–4 (1) (बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या तथा तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5